संख्या– 09 /XXVII(7)म/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त (सामान्य नियम – वेतन आयोग) अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 22 अक्टूबर, 2005

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक : 01 जुलाई, 2005 से लागू दर।

पटित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–174/ XXVII(3)म/2004,दिनांक : 11 मई, 2004
2– भारत सरकार,वित्त मन्त्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा0सं01(5)/2005, संख्या–11(ख)/746, दिनांक : 07 अक्टूबर, 2005।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक : 11 मई, 2005 एवं 07 अक्टूबर, 2005 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक : 01 जुलाई, 2005 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

तिथि,जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2005	वेतन का 21 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,दिनांक : 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक : 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक : 01 जनवरी, 2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित कमांक–(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जुलाई, 2005 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 63 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4– इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक : 01 जनवरी, 2005 से 31 अक्टूबर, 2005 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

जायेगी,और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक : 01 नवम्बर, 2005 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक : 31 अक्टूबर, 2006 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी. बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500(1)97,दिनांक 07 अक्टूबर,1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक : 01 नवम्बर, 2005 (भुगतान दिनांक 30 नवम्बर, 2005 को देय) से नकद किया जायेगा।

6– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक : 31 अक्टूबर, 2005 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या : 09 (1)/XXVII(7)म/2005, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।